न्यायालय कलेक्टर एवं विहित प्राधिकारी (पंचायत)
जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर (छ0ग0)

रा0आ0प्र0क0– 202111010100018/बी–121/2021–22

रवि गुप्ता आ0 श्री पिताम्बर प्रसाद गुप्ता,
उम्र–39 वर्ष, जाति गुप्ता पेशा–व्यापार
निवासी ग्राम केल्हारी तहसील व थाना केल्हारी
तहसील केल्हारी, जिला–एम.सी.बी. (छ0ग0) ....आवेदक

प्रति

श्री मकसूद आलम आ0 मकबूल आलम
उम्र लगभग 50 वर्ष, पद जनपद सदस्य जनपद क्षेत्र क्रं0 02,
केलुवा जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ निवासी ग्राम केल्हारी
तहसील व थाना केल्हारी जिला कोरिया (छ0ग0) ....अनावेदक

// आदेश //

(पारित दिनांक 25/04/2024)

यह प्रकरण आवेदक रविगुप्ता द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–40 छ0ग0 पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत अनावेदक को पद से हटाए जाने हेतु प्रस्तुत किए जाने के कारण इस न्यायालय में सुनवाई हेतु संस्थित किया गया।

2/– प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक ग्राम केल्हारी का निवासी होकर जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ के जनपद पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रं0–02 केलुआ का जनपद सदस्य है। ग्राम केलुआ एवं ग्राम पंचायत डांड़हंसवारी जनपद पंचायत क्षेत्र क्रं0–02 केलुआ के अधीनस्थ ग्राम है। अनावेदक अपने पदीय कर्त्तव्यों के विरूद्ध जाकर पंचायत कार्यों में मटेरियल सप्लाई कर लाभ अर्जित किया है, जिसकी अधिकृत जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त करने पर हुई कि अनावेदक बिल्डिंग

कलेक्टर
जिला - मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner

मटेरियल सप्लायर एवं सिविल कांट्रेक्टर पी0डब्ल्यू0डी0 केल्हारी जिला एम.सी.बी. का प्रोपाईटर है। ग्राम पंचायत केलुआ एवं ग्राम पंचायत डांडहंसवाही के पंचायत पदाधिकारियों से मिलीभगत कर उनके समक्ष निम्नांकित बिल प्रस्तुत कर लाभ अर्जित किया है :–

क्रं.	बिल क्रमांक	ग्राम पंचायत	दिनांक	प्राप्त की गयी राशि
1	2	3	4	5
1.	242	केलुआ	10.02.2021	4,02,000 / – रू0
2.	240	केलुआ	10.02.2021	6,07,105 / –रू0
3.	239	केलुआ	20.01.2021	3,70,895 / –रू0
4.	0	केलुआ	20.01.2021	26,960 / – रू0
5.	01	डांडहंसवाही	28.09.2020	1,48,070 / – रू0
6.	02	डांडहंसवाही	28.09.2020	1,71,413 / – रू0
7.	06	डांडहंसवाही	28.09.2020	1,82,550 / – रू0

अनावेदक ने किसी भी बिल में जी.एस.टी. अथवा अन्य टेक्स का उल्लेख नहीं किया है। यह कि पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पंचायत का कोई पदधारी, सदस्य, सेवक पंचायत के साथ अथवा पंचायत की तरफ से की गयी संविदा अथवा किसी कार्य के प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी व्यक्तिक हित को प्राप्त करता है तो उसे दण्ड का पात्र होना निरूपित किया गया है। अनावेदक जनपद पंचायत क्षेत्र क्रं. –02 केलुआ जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ का सदस्य होते हुए ग्राम पंचायत केलुआ एवं डांडहंसवाही में मटेरियल सप्लाई कर स्वयं अपने नाम का बिल प्रदान कर लाभ अर्जित किया है जो छ.ग. पंचायत राज अधिनियम की धारा 100 का स्पष्ट उल्लंघन है ऐसा कर अनावेदक अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी है। अतः अनावेदक को जनपद सदस्य क्षेत्र क्रं. 02 केलुआ जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ के पद से हटाए जाने का निवेदन किया है।

3/– प्रस्तुत प्रकरण में अनावेदक को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब प्राप्त किया गया। अनावेदक ने जवाब तर्क में बताया है कि अनावेदक कोई अवचार नहीं किया है । पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 में निहित प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा है कि ग्राम पंचायत केलुआ, डांडहंसवारी में कोई निर्माण कार्य नहीं कराया हूँ । ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव द्वारा निर्माण कार्य कराया गया है जिसमें अलग–अलग दुकान,

Scanned with OKEN Scanner

एजेंसी से निर्माण सामग्री प्राप्त करते हैं। इस प्रकार अनावेदक के परिवार के द्वारा संचालित दुकान से निर्माण सामग्री मटेरियल लिया गया होगा जिसमें अनावेदक द्वारा कोई अनुचित लाभ प्राप्त नहीं किया गया है। आवेदन पत्र में किस भवन स्थान का मटेरियल सप्लाई किया गया है इसका उल्लेख नहीं है। आरोप के पूर्व अनुमति लिया जाना आवश्यक है। सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, सिर्फ बिल (मेमो) प्रस्तुत है संबंधित विभाग से मूल प्रति नहीं मंगाई गयी है न ही कोई आवश्यक जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत है। आरापे निराधार है, जिससे जन प्रतिनिधि पंचायत में जनहित के कार्य में कोई अवरोध उत्पन्न न हो इसलिए प्रकरण निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

4/– प्रस्तुत प्रकरण में उभयपक्ष द्वारा लिखित में अंतिम तर्क प्रस्तुत किया गया। आवेदक ने अपने लिखित तर्क में आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्यों को तथा अनावेदक ने अपने लिखित तर्क में उपरोक्त कंण्डिका क्रमांक 03 में उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया है।

मेरे द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत आवेदन पत्र, संलग्न दस्तावोजों का अवलोकन एवं उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत अंतिम लिखित तर्क का विवेचन किया गया। अनावेदक मकसूद आलम, जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक –02 केलुआ का सदस्य होते हुए ग्राम पंचायत केलुआ एवं डांडहंसवाही में उपरोक्त कंण्डिका क्र0 02 में वर्णित देय को बिल के माध्यम से बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई कर लाभ अर्जित किया है जो प्रस्तुत देयकों की छायाप्रति से स्पष्ट प्रमाणित होता है। अनावेदक ने अपने जवाब तर्क में कोई भी ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा जिससे शिकायत पत्र में उल्लेखित शिकायतों की पुष्टि न हो सके। छ0ग0 पंचायती राज अधिनियम की धारा 100 में प्रावधानित है कि पंचायत का कोई भी सदस्य बिना अनुज्ञा के पंचायत से लाभ अर्जित करता है तो वह दण्ड का भागी होगा। मकसुद आलम का ठेकेदारी के रूप में पंजीयन भी है जिससे स्पष्ट होता है कि अनावेदक ठेकेदारी कार्य भी बिना अनुज्ञा के करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अनावेदक पंचायत पदधारी होने के बावजूद पंचायतों में बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई कर लाभ अर्जित किया है इस प्रकार अनावेदक संहिता 1993 की धारा–40 में निहित प्रावधानों के तहत अवचार का दोषी सिद्ध पाया जाता है।

कलेक्टर
जिला : मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्तानुसार अनावेदक मकसूद आलम को छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 40(1) के तहत अवचार का दोषी पाए जाने के कारण जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक –02 केलुआ जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ के पद से तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

आदेश पारित एवं घोषित ।

कार्यालय कलेक्टर मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.)

(डी0 राहुल वेंकट)
कलेक्टर
एवं विहित प्राधिकारी (पंचायत)
जिला– मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर
(छत्तीसगढ़)

कलेक्टर
मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर (छ.ग.)

पृ0क्रं0 7031 / वाचक–1 / कले0 / 2024 मनेन्द्रगढ़ दिनांक 25 / 03 / 2024

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरिया (छ0ग0) को सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ जिला मनेन्द्रगढ चिरमिरी भरतपुर (छ0ग0) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर
एवं विहित प्राधिकारी (पंचायत)
जिला– मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर
(छत्तीसगढ़)

कलेक्टर
मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner